न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां(राज.)

पीठासीन अधिकारीः—कृष्ण गोपाल जोजन आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 226/2016 **दायर दिनांकः 21/11/2016**

उनवान

1. मांगीलाल पुत्र धूली लाल आयु 40 वर्ष जाति बैरवा निवासी कटावर तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0।
2. भंवरसिंह पुत्र जादुलाल आयु...... वर्ष जाति अहीर।
3. राजमल पुत्र जादुलाल आयु...... वर्ष जाति अहीर।
4. महेन्द्र पुत्र जादुलाल आयु .... वर्ष जाति अहीर।
5. तामराज पुत्र भोजराज आयु ....वर्ष जाति अहीर।
6. कुलदीपराज पुत्र भोजराज आयु ...... वर्ष जाति अहीर।
7. यद्धुराज राज पुत्र इन्द्रभान आयु .... वर्ष जाति अहीर।
8. युवराज पुत्र इन्द्रभान आयु .... वर्ष जाति अहीर।
9. ऋषिराजराज पुत्र इन्द्रराज आयु .... वर्ष जाति अहीर समस्त प्रतिवादीगण निवासी कुन्जेड तहसील अटरू जिला बारां राज0।
10. किरन पुत्र कन्हैयालाल आयु ....वर्ष जाति अहीर निवासी आटोन तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादी

वाद धारा 88, 89 आर0टी0एक्ट

उपस्थिति :—

वादीगणः— विद्वान अभिभाषक श्री लक्ष्मीचन्द गोतम। (एक तरफा)

आदेश दिनाक : 21/10/2019

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, आर.टी.एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल कटावर के खाता नं0 78/81 की जमाबन्दी सम्वत 2070—73 के अनुसार खातेदार जादूलाल, इन्द्रराज भोजराज पुत्रान मथुरा लाल जाति अहीर निवासी कुंजैड के खाते दर्ज चली आ रही है। खातेदार जादू लाल, इन्द्रराज, भोजराज फोत हो चुके हैं जिनके वारीसान प्रतिवादी क्रम 2 से 9 हैं जिन्हें वाद का पक्षकार बनाया गया है। खातेदार जादूलाल ने अपने कब्जे काश्त एवं हिस्से की ख0नं0 677 की 0.96 है0 भूमि वादी के पिता धूल्या को दिनांक 08—02—1974

को जर्ये तहरीर 3375/– रूपये लेकर बेचान कर दी जिसका पुराना ख0नं0 160 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा है नोट बेचान गिरदावरी संम्वत 2030 में अंकित चला आ रहा है। और तभी से वादी के पिता धूल्या तथा धूल्या की मृत्यु बाद वादी इस जमीन को कब्जे काश्त करता चला आ रहा है। इस प्रकार पिछले 42 वर्ष से वादी के कब्जे काश्त मैं है और प्रतिवादीगणों को कोई आपत्ति नही हुई। इसलिये वादी खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है। बैचान नामें के अंकित नोट एवं विपरीत कब्जा होने से वादी ख0नं0 677 की0.96 है0 भूमि अपने खाते दर्ज कराने का हकदर है। प्रार्थी कई बार तहसीलदार साहब को आवेदन कर चुका है। लेकिन कोई कार्यवाही नही करने पर न्यायालय की शरण लेना पड़ा है। भूमिधारी राजस्थान सरकार होने से तहसीलदार अटरू को पक्षकार बनाया गया है। जिन्हें धारा 80 सी0पी0सी0 का नोटिस जारी कर दिया गया है। जिसकी मियाद समाप्त हो चुकी है। दिनांक 15–10–2016 को प्रतिवादीगणों को बेचान रजिस्ट्री कराने का अनुरोध करने और उनके द्वारा मना कर देने से दिनांक 15–10–2016 को वादकरण उत्पन्न हुआ है।

अतः वाद प्रस्तुत कर अनुरोध है कि ग्राम कटावर के खाता नं0 78/81 सम्वंत 2070–73 में अंकित खसरा नं0 677 रकबा 0.96 है0 जिसका पुराना ख0नं0 160 रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा को वादी के खाते दर्ज की जाकर खातेदारी अधिकार दिये जाने की घोषणा की जावे।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादी क्रम 1 ल 10 बाबजूद सूचना उपस्थित नही होने के कारण एक तरफा कार्यवाही की गई।

साक्ष्यवादी के अन्तर्गत Pw_1 से Pw_3 के शपथ पत्र पेश किये व रिकार्ड EXP करवाया गया। अभिभाषक वादी की एक तरफा बहस सुनी अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया गया तथा निवेदन किया गया कि माल कटावर के खाता 78/81 जो खातेदार जादूलाल, इन्द्रराज, भोजराज पुत्रान मथुरालाल अहीर निवासी कुंजैड के खाते दर्ज थी जादूलाल द्वारा अपने कब्जे काश्त की भूमि ख0 नं0 677 रकबा 096 है0 वादी के पिता घूलीलाल ने दिनांक 08.02.1974 को जर्ये तहरीर 3375 रू0 लेकर के बैचान कर दी गई जो पुराना ख0नं0 160 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा है, जिसका नोट गिरदावरी सम्वत् 2030 में अंकित है। तब से वादी के पिता घूलीलाल तथा धूली लाल की मृत्यु उपरान्त वादी का इस भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। भूमि पर लगभग 42 वर्षो में कब्जे काश्त है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी ने अपने पक्ष में प्रस्तुत दस्तावेज खाता नं0 78 / 81 सम्वंत् 2070–73 ग्राम कटावर की जमाबन्दी खातेदारी जादूलाल, इन्द्रराज, भोजराज की पेश की, वादी ने गिरदावरी ग्राम कटावर सम्वंत 2026–30 पेश की हो जो प्रदर्श A_2 है, जिस पर अंकित नोट दिनांक 08.02.1974 के अनुसार जर्ये तहरीर जादूलाल ने नकदी रकम 3375 रूपये में भूमि खाता संख्या 78 / 81 की ख0नं0 677 रकबा 0.96 है0 जिसका पुराना नम्बर गिरदावरी अनुसार ख0नं0 160 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा है। वादी के पिता द्वारा न्यायालय ACM छबडा में खातेदारी प्राप्त करने हेतु वाद पेश किया था, जो EXP 9 है, जो राज0 सरकार को पक्षकार नही बनाने के कारण दिनांक 05.02.1988 को खारिज कर दिया गया था, वाद खारजी के तत्काल बाद वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 05.02.1988 को उसी दिन न्यायालय ACM छबडा में राजीनामा पेश किया गया जिसको न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाकर तस्दीक किया गया जो प्रदर्श 7 है। जिसमें ग्राम कटावर की ख0नं0 160 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा भूमि को लतीफ द्वारा वादी धूलीलाल को बैचान कर दी जिस पर खातेदारान प्रतिवादी इन्द्रराज, भोजराज, जादूलाल ने अपना कब्जा समाप्त होना बताकर अधिकार समाप्त होना स्वीकार कर सहमति देते हुये खातेदारी देने का राजीनामा किया है। साक्ष्य अनुसार PW_1 से PW_3 द्वारा भी यह पुष्टि की गई है कि विवादित भूमि पर धूलीलाल का कब्जा है, तथा वर्तमान में धूलीलाल के वारिसान वादी का कब्जाकाश्त है। न्यायहित में वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम कटावर पुराना ख0नं0 160 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा जिसके हाल ख0नं0 677 रकबा 0.96 है0 का वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21.10.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कृष्णगोपाल जोजन)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)
बइजलास. श्री कृष्णगोपाल जोजन (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 226/2016

उनवान

1. मांगीलाल पुत्र धूली लाल आयु 40 वर्ष जाति बैरवा निवासी कटावर तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0।
2. भंवरसिंह पुत्र जादुलाल आयु...... वर्ष जाति अहीर।
3. राजमल पुत्र जादुलाल आयु...... वर्ष जाति अहीर।
4. महेन्द्र पुत्र जादुलाल आयु .... वर्ष जाति अहीर।
5. तामराज पुत्र भोजराज आयु ....वर्ष जाति अहीर।
6. कुलदीपराज पुत्र भोजराज आयु ...... वर्ष जाति अहीर।
7. यद्धुराज राज पुत्र इन्द्रभान आयु .... वर्ष जाति अहीर।
8. युवराज पुत्र इन्द्रभान आयु .... वर्ष जाति अहीर।
9. ऋषिराजराज पुत्र इन्द्रराज आयु .. वर्ष जाति अहीर समस्त प्रतिवादीगण निवासी कुन्जेड तहसील अटरू जिला बारां राज0।
10. किरन पुत्र कन्हैयालाल आयु ....वर्ष जाति अहीर निवासी आटोन तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादी

वाद धारा 88, 89 आर0टी0एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई ....X................ रूबरू...............X..............................

बहाजिर :–

वादीगण:– विद्वान अभिभाषक श्री लक्ष्मीचन्द गोतम। (एक तरफा)

मिनजानित मुदई रूबरू ....X...

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम कटावर पुराना ख0नं0 160 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा जिसके हाल ख0नं0 677 रकबा 0.96 है0 का वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।

(कृष्णगोपाल जोजन)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....X..................... मुबालिक ....X............... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......X...
फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X.......................... अदा करूंगा।
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 21.10.2019 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		**मुदालयह**	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Krishna Gopal Jojan
Date: 2019.11.15 15:11:08 IST
Reason: SelfAttested
Location: